फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।
(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

27-09-2013

आवेदिका **श्रीमती नंदिनी मेहता,** पति–श्री अतुल कुमार मेहता, सा0–कृष्ण कुंज, शेखपुरा, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–54/2010 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त कर सुनवाई की गयी।

पूर्व निर्धारित तिथि दिनांक–27.09.2013 को सुनवाई की गयी। सुनवाई के क्रम में आवेदिका द्वारा उपस्थित होकर बताया गया कि वे जे0डी0 वीमेन्स कॉलेज, बेली रोड, शेखपुरा, पटना के अर्थशास्त्र विभाग में व्याख्यता के पद पर कार्यरत हैं। उनकी माता श्रीमती प्रेमलता सिन्हा के नाम पूर्व से एक पिस्टल सं0–253649, शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–2152/1975 प्राप्त है। वे रोहतास की मूल निवासी हैं, जहाँ अक्सर आना–जाना पड़ता है। तदोपरान्त उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1623/गो0, दिनांक–14.12.2009 द्वारा आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र अधीनस्थ पदाधिकारियों से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अग्रसारित एवं अनुशंसित किया गया है। पुलिस उपाधीक्षक, सचिवालय, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, गर्दनीबाग के मंतव्य एवं अनुशंसा के आलोक में आवेदिका के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को अग्रसारित किया गया है। थानाध्यक्ष, शास्त्रीनगर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि आवेदिका जे0डी0 वीमेन्स कॉलेज, बेली रोड, शेखपुरा, पटना के अर्थशास्त्र विभाग में व्याख्यता के पद पर कार्यरत हैं। उनकी माता श्रीमती प्रेमलता सिन्हा के नाम पूर्व से एक पिस्टल सं0–253649, शस्त्र अनुज्ञप्ति सं0–2152/1975 प्राप्त है। तदोपरान्त आवेदिका के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, जिसके आलोक में थानाध्यक्ष द्वारा आवेदिका को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने की अनुशंसा की गयी है।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन, आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का

सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी को प्रतीत होता है कि आवेदिका को अपने जान–माल की सुरक्षा के बिन्दु पर भय/खतरा है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों, वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं आवेदिका के आवेदन एवं उनके द्वारा उपस्थित होकर रखे गये तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्रीमती नंदिनी मेहता, पति–श्री अतुल कुमार मेहता, सा0–कृष्ण कुंज, शेखपुरा, थाना–शास्त्रीनगर, जिला–पटना को उनके द्वारा अपने जान–माल की सुरक्षा हेतु सम्पूर्ण बिहार राज्य क्षेत्राधिकार के लिए मान्य एक एन0पी0बोर पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति हेतु **स्वीकृति** प्रदान की जाती है।

श्रीमती मेहता को आदेश दिया जाता है कि वे विहित सरकारी शीर्ष में अपेक्षित अनुज्ञप्ति शुल्क कोषागार चालान के माध्यम से जमा कर चालान की मूल प्रति, पासपोर्ट साईज का दो अभिप्रमाणित फोटो एवं एक सादी अनुज्ञप्ति पुस्त अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत कर शस्त्र पंजी में प्रविष्टि कराने के उपरान्त उक्त अनुज्ञप्ति पुस्त प्राप्त कर लेंगें।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

27/9/17

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

27/9/17

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।